न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2002/00014

मिसल नम्बर– 04 / 2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण साकिन जयपुर राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक 26/8/25

उपस्थिति–

1.सरकार पैरोकार

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि सिवायचक खाते जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 के अनुसार ग्राम छत्रपुरा में खसरा नम्बर 47 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए खसरा नम्बर 30 रकबा 0.15 है0, बनाये गये । तथा उक्त खसरा नम्बरान को प्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया गया। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.15 है0 आराजी रकबा गलत दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 30 रकबा 0.15 है भूमि वाके ग्राम छत्रपुरा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057, जमाबंदी संवत् 2033 से 2036, जमाबंदी 2058 से 2061 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 024.02.2006 को प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 30 को राजकीय सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा मे प्रस्तुत की

गई। न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2005 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारा कोटा का निर्णय दिनांक 24.06.2002 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देष के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि दौनों पक्षो को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नैसर्गिक न्याय के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया अपना कर नियमानुसार न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

अप्रार्थी द्वारा वर्णित किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध मे पूर्व मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 30.11.1987 को आदेश पारित किया गया था। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही चलने योग्य नही मानी जाने के कारण न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 17.05.1989 को निरस्त कर दिया गया था तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर नये सिरे से पुनः धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जो चलने योग्य नही है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा धारा 136 की कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तुत नही की गई है। एक बार धारा 136 के तहत कार्यवाही करने के उपरांत उन्हीं तथ्यों पर पुनः आवेदन प्रस्तुत करना रेसजुडीकेटा की श्रेणी मे आता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम रेसजुडीकेटा से प्रभावित होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 17.05.1989 के विरूद्ध अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावी फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तंर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा